प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद उ0प्र0
अनुभाग–4 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या ई–2241/4–8ई/2010 दिनांक 20 अप्रैल, 2010

विषयः– वरिष्ठ रजिस्ट्रार कानूनगो का कार्य उन्हीं के अधीनस्थ लेखपालों को नियमों के विरूद्ध सौंपे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में परिषद के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि तहसीलों में रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से सम्बद्ध लेखपालों को कार्य विभाजन करते हुए रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का कार्य लिया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भूलेख नियम संग्रह में रजिस्ट्रार कानूनगों एवं उनके सहायकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अतः मा0 परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का कार्य नियमानुसार किसी लेखपाल को नहीं सौपा जा सकता है। जनपद/तहसीलों में पर्याप्त रजिस्ट्रार कानूनगो के न होने एवं कार्य की अधिकता के कारण त्वरित गति से कार्य सम्पादित कराने हेतु आवश्यकता पड़ने पर कतिपय लेखपालों को रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से सम्बद्ध करने का औचित्य यदि जिलाधिकारी द्वारा पाया जाता है, तो ऐसे लेखपालों को रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के सहायतार्थ शासकीय हित में सम्बद्ध किया जाना ही उचित होगा।

अतएव तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0
(संजीव दूबे)
आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–9 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(विजय कुमार यादव)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।